Industries in drought areas

431. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government give preference in starting heavy and small scale industries in drought prone areas to create employment to the people in these areas; and

(b) if so, the industries to be started in these areas this year?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Retrenchment by Calcutta Dock Labour Board

433. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Calcutta Dock Labour Board by its decision dated 5th October, 1976 retrenched 3,756 workmen from their services;

(b) if so, the reaction of the Government; and

(c) the steps taken to revoke that decision?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) After a review of the number of workers on its registers or records according to the provisions of the Schemes framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Calcutta Dock Labour Board, which is a tripartite body, decided at its meeting held on 5-10-1976 to decrease the number of registered dock workers on its registers or records by removing the names of the workers of the age of 50 years and above keeping in view the anticipated requirements and for better efficiency and economy of operations. In the same Resolution, the Board also decided the amounts to be paid to the workers whose names were removed from the Board's registers. In pursuance of this decision, the Board removed the names of 3506 workers from its registers in December, 1976.

(b) Before implementing its decision, the Dock Labour Board had obtained the approval of the Central Government to the adjustment in the number of workers as required under the relevant Schemes.

(c) Does not arise.

मोटरकार बनाने के लिये लाइसेंस

434. श्री घम सिंह भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आवेदकों की अब तक की संख्या और नाम क्या है जिन्होंने मोटर कार के निर्माण के लिये लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ख) कितने और किन किन आवेदकों को लाइसेंन्स दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) और (ख) : यात्री कारों के निर्माण के लिये आशय पत्र देने बारे में सरकार की नीति 10 अगस्त, 1970 को संसद के दोनों सदनों में घोषित की गई थी । उस तिथि को सरकार के पास निम्नलिखित पार्टियों के आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े थे :—

(1) मे० मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमट एण्ड डेवलपमट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर ।

(2) श्री सोम प्रकाश रेखी, मे० जीता इण्डिया, दिल्ली ।

(3) श्री मनुभाई एच० ठक्कर, पार्टनर, अश्विन इण्डस्ट्रीज, जिला बड़ौदा (गुजरात)।

(4) म० आर० आर० चोकसी एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद-2।

(5) मे० गणेश रेनोल्ट, लखनऊ।

(6) मे० भुविमान लिमिटेड, जयपुर।

(7) मे० अरविन्द आटोमोबाइल्स, त्रिवेन्द्रम।

(8) श्री संजय गांधी, (अब मै० मारुति लिमिटेड, गुडगांवा)।

(9) मे० केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम।

(10) श्री एम० मदन मोहन राव, मद्रास।

इनमें से श्री संजय गांधी और मद्रास के श्री एम० मदन मोहन राव को यात्री कारें बनाने के लिये आशय पत्र दिये गये थे। बाद में, यात्री कारों के निर्माण के लिए अपनी योजनाएं संशोधित करने के पश्चात् दिल्ली के श्री सोम प्रकाश रेखी और बड़ौदा के श्री मनुभाई एच० ठक्कर को भी आशय पत्र दिये गये थे।

यात्री कारों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु निम्नलिखित पार्टियों से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे :—

(1) श्री शाम चेरियन, क्विलोन, केरल।

(2) मे० अलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सालेम।

(3) श्रीमती सुलोचना सिंह, कानपुर।

(4) मे० अमर इंजी०, इण्डस्ट्रीज, धर्मशाला।

(5) श्री जी० पी० श्रीवास्तव, कानपुर।

(6) श्री बी० एम० शाह, बम्बई।

श्री श्याम चेरियन, मे० अमर इंजी० इण्डस्ट्रीज और श्री जी० पी० श्रीवास्तव को आशय पत्र के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करने की सलाह दी गई थी। बाकी पार्टियों अर्थात् मे० अलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन और श्रीमती सुलोचना सिंह को आशय पत्र जारी किये गये थे।

मे० मारुति लिमिटेड और श्री मनुभाई एच० ठक्कर को दिये गये आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदल दिया गया है। श्रीमती सुलोचना सिंह को दिया गया आशय पत्र अभी भी वैध है। श्री एम०मदन मोहन राव, श्री सोम प्रकाश रेखी और मै० अलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दिए गए आशय पत्र रद्द कर दिये गये थे।

यात्री कारों के निर्माण के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकरण हेतु आशय पत्र निम्नलिखित पार्टियों को जारी किये गये थे :—

(1) मे० स्पीडकाफ्ट (प्रा०) लिमिटेड, पटना।

(2) मे० एयर टेक (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।

(3) मे० आनन्दजी हरिदास कं० प्रा० लिमिटेड, बम्बई।

(4) श्री एम० चन्द्रा, नई दिल्ली।

(5) मे० न्यू इण्डिया आटोमोबाइल्स, कलकत्ता।

(6) मे० सना आटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंदौर।

(7) मे० सनराइज आटो इण्डस्ट्रीज, बंगलौर।

(8) श्री अशोक के० राय, नई दिल्ली।

इनमें से मे० सोना आटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का आशय पत्र अभी भी वैध है; मे० स्पीडक्राफ्ट (प्रा०) लिमिटेड मे० एयर टेक (प्रा०) लिमिटेड, मे० आनन्दजी हरिदास कं० प्रा० लिमिटेड, श्री एस० चन्द्रा, मे० न्यू इण्डिया आटोमोबाइल्स और श्री अशोक के० राय के आशय पत्र रद्द कर दिए थे; मे० सन्तराज आटो इंडस्ट्रीज का आशय पत्र तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने तीन पहियों की यात्री कारों के निर्माण के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र में बदल दिया है गया।

Payment of Compensation to Land Owners in Asansol, Raniganj and Andal

435. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Ministry is aware of the fact that vast land in Asansol, Raniganj and Andal Police stations have been acquried and subsided due to de-pillarisation by the Eastern Coalfield Ltd. and no compensation has been paid to cultivators/owners of the land; and

(b) if so, whether Government will take early measures to pay proper compensation and employment to the relatives of the land owners/cultivators?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार सैनिक पुलिस में सेवा से बर्खास्तगी

436. श्री युवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में बिहार सैनिक पुलिस यूनिट संख्या 9, 11, 12, 5, 7, 8, 2, 1, 4 और 3 के लगभग 200 सिपाहियों को आपातकाल में बिना कारण बताये सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सिपाहियों पर निराधार आरोप लगा कर इन्हें बर्खास्त किया गया था;

(ग) क्या उन्हें सिपाहियों को भड़काने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और श्री रामानन्द तिवारी की विचारधारा को विस्तारित एवं प्रचारित करने तथा सिपाही संगठन को मजबूत बनाने और अधिकारियों की धांधली के विरूद्ध आवाज उठाने के लिये बर्खास्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन सिपाहियों को उनके वेतन तथा भत्तों की पूरी बकाया राशि लौटाते हुए कब तक सेवा में बहाल किया जायेगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) से (घ) तक. अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है और उनसे प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।